संख्या-16/2015/403/59-2-2015-15(खा)/2009

प्रेषक,

निर्मला श्रीवास्तव,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,

उ0प्र0 लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 19 मई, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में ई-गवर्नेन्स कम्प्यूटराइजेशन एण्ड कनेक्टिविटी योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक-93/खा0ग्रो0बो0/कम्प्यूटर/ई-गवर्नेन्स/2015-16, दिनांक 27.04.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को ई-गवर्नेन्स कम्प्यूटराइजेशन एण्ड कनेक्टिविटी योजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 10,00,000.00 (रूपये दस लाख मात्र) के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 5,00,000.00 (रू0 पांच लाख मात्र) को निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग के निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015, एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- व्यय की तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही स्वीकृत धनराशि का आहरण किया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में महालेखाकार (लेखा परीक्षा) (प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन का उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही व्यय की गयी धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-08 में वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) (प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद व उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्ट्रोलर एण्ड आडीटर जनरल भारत सरकार या उनके द्वारा मनोनीत किसी अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए भी उपलब्ध रहेगा।

6- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-5 के लेखा शीर्ष् 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनेत्तर-105-खादी ग्रामोद्योग-24-ई-गवर्नेन्स कम्प्यूटराइजेशन एण्ड कनेक्टिविटी-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत् व्यवस्थित धनराशि के नामें डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015, में निहित व्यवस्थानुसार निर्गत किया जा रहा है।

भवदीया,

(निर्मला श्रीवास्तव)
उप सचिव

16/2015/403/

संख्या- (1)/59-2-2015 तददिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/,द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/,द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0, 125, जवाहर भवन, लखनऊ।

7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4/औद्योगिक विकास अनुभाग-2

8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

9- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

10- एन0आई0सी0/गार्ड फाइल

आज्ञा से,

N.Sw

(निर्मला श्रीवास्तव)
उप सचिव